

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	370011374	आनन्द प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	-	<p>महोदय, मुझे निम्न विवरणानुसार दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मैं दुर्गम से दुर्गम मुख्य अभियन्ता कार्यालय, लो०नि०वि० अल्मोड़ा में ही कार्य करने को इच्छुक हूँ एवं मुझे लगभग 1 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होना है। 2. मैं एक वरिष्ठ कार्मिक हूँ, अतः मुझे स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 ख (5) के प्राविधान के अनुसार दुर्गम से सुगम कार्यालय हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- आनन्द प्रकाश,

पदनाम- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० ह्यांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता